



भारतीय मजदूर संघ

BHARATIYA MAZDOOR SANGH

Dattopant Thengadi Bhawan, 27, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002

Tel:- 011 23222654 Fax: 91-11-23212648

Website: www.bms.org.in E-mail : bmsdtb@gmail.com

Ref-BMS/D-20/179/2017

Dated- 29/06/2017

BMS submission in the meeting called by Ministry of Labour and Employment on amending Rule 25.

BMS opposes any dilution of law on “Equal pay for Equal work”. Government should not go for any amendment that may dilute the legal provision that make it compulsory “Equal pay for Equal work” contained in Rule 25 of Contract Labour (Regulation & Abolition), Central Rule. Supreme Court also has ordered all establishments and Governments to implement Rule 25 on “Equal pay for Equal work”. Recent Supreme Court Judgment is historic and should not be disturbed or diluted. It is ridiculous that NITI Aayog has proposed deletion of Rule 25 from the statute. Permanent jobs are being lost and contractualisation is increasing in the country. Wage exploitation and other rampant exploitations of contract labour are rising day by day. Strong legal amendments are needed to stop such exploitations. Labour Ministry should take initiative towards this. The present amendment is vague and may give room for adverse legal interpretations. Hence BMS demands that instead of this, a provision is to be added to provide “monthly pay of Rs.10000 or Minimum wages notified or Equal pay for Equal work whichever is higher”.

BMS delegation headed by Shri C.K. Saji Narayanan, National President, along with Shri Pawan Kumar, Zonal Organizing Secretary, attended the discussion.

Yours faithfully,

(Radhe Shyam Bhardwaj)
Office Secretary,



भारतीय मजदूर संघ

BHARATIYA MAZDOOR SANGH

Dattopant Thengadi Bhawan, 27, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002

Tel:- 011 23222654 Fax: 91-11-23212648

Website: www.bms.org.in E-mail : bmsdtb@gmail.com

पत्रांक-भामसं/डी-२०/१७६/२०१७

दिनांक-२६.०६.२०१७

प्रैस विज्ञप्ति

ढेका अधिनियम के नियम २५ में संशोधन पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बुलाए गये बैठक में भारतीय मजदूर संघ द्वारा उठाये गये बिन्दू

भारतीय मजदूर संघ समान काम के समान वेतन कानून में किसी भी तरह के बदल अथवा संशोधन का विरोध करता है तथा सरकार से आग्रह करता है कि उसे ऐसे किसी भी संशोधन के लिए नहीं जाना चाहिए जिससे अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) कानून के नियम २५ में संशोधन या बदलाव से "समान काम के लिए समान वेतन", में कानूनी बाध्यता समाप्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रतिष्ठानों एवं सरकारों को "समान काम के लिए समान वेतन" दिये जाने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो अधिनियम के नियम २५ अनुसार है। इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि नीति आयोग ने कानून से नियम २५ को हटाने का प्रस्ताव किया है। आज देश में स्थायी रोजगार दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं और संविदा कर्मियों की संख्या ही बढ़ रही है तथा इनकी मजदूरी तथा अन्य प्रकार के शोषण दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए आज वर्तमान कानून में संशोधन नहीं वरन् कार्यान्वयन की आवश्यकता है। श्रम मंत्रालय को इसके लिए पहल करनी चाहिए। वर्तमान संशोधन अस्पष्ट होने के साथ और विपरीत कानूनी परिस्थितियों उत्पन्न करेगा। अतः भारतीय मजदूर संघ मांग करता है कि इसके बदले "१०,००० रुपये मासिक वेतन अथवा अधिसूचित न्यूनतम वेतन या समान काम के लिए समान वेतन जो भी अधिक हो" जोड़ा जाना चाहिए।

भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व श्री सी०के० सजी नारायणन्, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री पवन कुमार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने किया।

भवदीय

(राधेश्याम भारद्वाज)
कार्यालय मंत्री,